# अध्याय –IV

## सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

अप्रैल 2008 से फरवरी 2013 की समयावधि के रिकार्ड की नमूना जांच (जून 2011 से मार्च 2013) में, हमने ₹ 86.53 करोड़ के राजस्व वाले सीमा-शुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले पाए। वे निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है।

निर्धारण अधिकारी ने भारत में खतरनाक इलेक्ट्रोनिक अपशिष्ट की निकासी की मंजूरी दी जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है।

**4.1** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित नियम 2008 (24 सितम्बर, 2008 से प्रभावी), खतरनाक कचरे (प्रबंधन, हैंडलिंग तथा सीमा-पार आवागमन) के नियम 13 के अनुसार, भारत में किसी अन्य देश से खतरनाक कचरे के आयात को निपटान के लिए मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, इसकी अनुसूची-IV में वर्णित को छोड़कर इस प्रकार के आयात को रीसायकल, वसूली अथवा पुन: उपयोग के लिए संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ मंजूर किया जाना चाहिए। अवैध रूप से आयातित इस तरह के किसी माल को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नियम-17) के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत भारत में आगमन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर आयातक द्वारा पुन: निर्यातित किया जाना चाहिए।

रीसाइक्लिंग, वसूली तथा पुन: उपयोग हेतु ए 1180 एवं बी 1110 पर उपरोक्त वर्णित नियमों की अनुसूची -III के भाग-ए तथा भाग-बी के तहत सूचीबद्ध इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक असेम्बलियों तथा उनके कचरे के आयात को आयात के लिए विदेश व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) से एक लाइसेंस तथा नियम-14 के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09/2009-14 के पैरा 2.17 के अनुसार, सभी सेकंड हैंड निजी कम्प्यूटर/लैपटॉप, फोटोकॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, डीजल जेनेरटिंग सेट का केवल डीजीएफटी द्वारा जारी एक लाइसेंस के प्रति आयात किया जा

सकता था। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय ने भी उपरोक्त वर्णित नियमों के तहत जारी एमओईएफ के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर (दिनांक 24 अगस्त, 2009, 15 अक्तूबर 2009 तथा 3 दिसम्बर 2009 का पत्र तथा दिनांक 4 जुलाई 2011 की परिपत्र संख्या 27/2011-सीमाशुल्क) निर्देश जारी किए थे।

मै. भवानी एन्टरप्राईजेज तथा 89 अन्यों ने ₹ 32.37 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य को शामिल करते हुए सीमाशुल्क (पोर्ट) आयुक्तालय, कोलकाता के माध्यम से पुराने तथा उपयोग हुए कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क, फोटोकॉपी, प्रिंटर, प्रिटिंग मशीन, कलर प्रिटिंग मशीन तथा पेपर कटिंग मशीन आदि के 185 कन्साइन्मेंट को पुन: उपयोग के लिए आयात (अक्तूबर 2008 तथा जुलाई 2011 के बीच) किया। माल को उपरोक्त वर्णित नियम 2008/एफटीपी के तहत अपेक्षित के रूप में डीजीएफटी से एमओईएफ अनुमति तथा वैध लाइसेंस के बिना आयात किया गया तथा तदनुसार सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा जब्त किया गया।

ऐसी 24 केस फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से डीजीएफटी से एफओईएफ अनुमति तथा लाइसेंस के अभाव की पुष्टि हुई, जबकि लेखापरीक्षा को शेष आयात मामलों की फाइलें प्रस्तुत नहीं की गई। इस माल के पुन: निर्यात के बावजूद, विभाग ने शुल्क के भुगतान पर ऐसे सभी आयातित माल की निकासी की मंजूरी दी जिससे खतरनाक इलेक्ट्रोनिक माल के आयात पर उपरोक्त वर्णित प्रतिबंधक खंड/निषेध का उल्लंघन हुआ और पर्यावरण के संरक्षण हेतु खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंध, हैंडलिंग तथा सीमा-पार आवागमन) नियम, 2008 बनाने के एमओईएफ के उद्धेश्य को असफलता मिली।

सीमाशुल्क उप-आयुक्त,कस्टम हाउस, कोलकाता ने कहा (अक्तूबर 2011) कि दिनांक जुलाई 2011 के सीबीईसी परिपत्र जारी होने के पश्चात ऐसे आयात को नामंजूर किया गया परन्तु उपरोक्त वर्णित नियम 2008 तथा इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय के निर्देशों के होने के बावजूद सीबीईसी परिपत्र जारी होने की तिथि से पूर्व कथित आयात की मंजूरी के कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

तथ्य यह है कि सीमाशुल्क अधिकारी (सीबीईसी) तथा राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच समन्वय के अभाव के कारण ₹ 32.37 करोड़ के मूल्य

के खतरनाक अपशिष्ट के आयात को मंजूरी दी गई जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मार्च, 2014)।

ईडीआई प्रणाली के गलत अद्यतन के परिणामस्वरूप सीवीडी का कम उद्ग्रहण हुआ।

**4.2** वित्त विधेयक 2012 लोकसभा में 16 मार्च 2012 को प्रस्तुत किया गया। जैसाकि उत्पाद-शुल्क तथा सीमाशुल्क दर में परिवर्तन यदि कोई हो, तो उसे वित्त विधेयक प्रस्तुत करने अर्थात् 16 मार्च 2012 की मध्य-रात्री से प्रभावी किया जाना था। इसलिए, यदि उत्पाद शुल्क दर में कोई परिवर्तन था तो वह सामान्य रूप से 17 मार्च 2012 से प्रभावी होगा जब तक कि वित्त विधेयक 2012 के प्रावधान की किसी अधिसूचना अथवा भाग के रूप में अन्यथा न कहा गया हो।

भारत सरकार ने दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 18/2012-सीई के अनुसार टैरिफ शीर्षक 8607, 8608 तथा 8609 के तहत आने वाले सभी माल के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सीवीडी) की दर को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ाया। बाद में, संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक 2012 को 28 मई 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हुई।

मई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीडी तुगलकाबाद, आईसीडी पटपड़गंज, एनसीएच, दिल्ली, कोलकाता (पोर्ट), कोलकाता (एयरपोर्ट), कस्टम हाउस, कोच्ची तथा वाइटफील्ड –बैंगलोर, एयर आयुक्तालय, देवनहल्ली से संबंधित प्रविष्टि बिल तथा आयात/निर्यात आंकड़ों से पता चला कि विभिन्न आयातकों ने सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 8607-रेलवे के भागों अथवा ट्रामवे इंजनों अथवा रोलिंग स्टॉक, 8608 रेलवे अथवा ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर तथा फिटिंग, यांत्रिक सिगनल और सीटीएच 8609 कंटेनर हेतु विशेष रूप से डिजाइन तथा सुसज्जित कंटेनर के तहत आने वाली विभिन्न मदों का आयात किया। आयातित माल को उपरोक्त वर्णित वित्त अधिनियम के तहत 12 प्रतिशत दर की बजाय 6 प्रतिशत दर पर निर्धारित किया गया।

इसके अलावा, यह देखा गया कि यद्यपि उपरोक्त आयुक्तालय ने 17 मार्च 2012 से 27 मई 2012 की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि दर पर सीवीडी का उद्ग्रहण किया तब भी इसे 28 मई 2012 को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम की स्वीकृति के पश्चात् गलत तरीके से 6 प्रतिशत तक कम किया गया। इस प्रकार, विभाग द्वारा आईसीईएस डाटाबेस में अधिसूचना निर्देशका के गलत अद्यतन के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 30.17 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

आईसीडी के उप सहायक आयुक्त, तुगलकाबाद, पटपड़गंज तथा एनसीएच कस्टम हाउस, नई दिल्ली ने ₹ 7.34 लाख ब्याज सहित ₹ 1.86 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अप्रैल/मई 2013)। अन्य आयुक्तालयों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2014)। अधिसूचना निर्देशिका के त्रुटिपूर्ण अद्यतन के लिए कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर अस्वीकार्य शिक्षा उपकर लगाया।

**4.3** दिनांक 22 जून 2010 की अधिसूचना संख्या 03/2010-सीईसी ने कोयले के आयात पर ₹ 50 प्रति मीट्रिक टन की प्रभावी दर पर 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' के उद्ग्रहण की व्यवस्था की।

इसके अलावा, दिनांक 22 जून 2010 की दोनों अधिसूचना संख्याओं 28/2010-सीई तथा 29/2010-सीई ने शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण से इस 'स्च्छ ऊर्जा उपकर' को छूट दी। परिणामस्वरूप, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर को कोयले के आयात पर सीमा शुल्क (कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) तथा 3(3) के तहत उद्ग्राह्य) के अतिरिक्त शुल्क के रूप में भुगतानयोग्य 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' पर छूट दी गई।

कांडला आयुक्तालय के अधिकार-क्षेत्र के तहत आने वाले कस्टम हाउस (एमपी एवं सेज), मुद्रा तथा कांडला पर, कोयले का आयात उपरोक्त छूट अधिसूचना का उल्लं घन करते हुए स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर शिक्षा/उच्च शिक्षा उपकर के

अधीन था। 260 प्रविष्टि बिलों की नमूना जॉच के संदर्भ में शिक्षा उपकर/उच्च शिक्षा उपकार के अतिरिक्त उद्ग्रहण की राशि ₹ 15.30 करोड़ थी।

सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त कांडला ने कहा (सितम्बर 2011 से अप्रैल 2012) कि रिमोट ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस 1.5) जो स्वयं शिक्षा उपकर की गणना करता है, में त्रुटि के कारण उपकर का अतिरिक्त उद्ग्रहण हुआ तथा इसे सिस्टम से डिलीट करने के लिए उनके कार्यालय में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। आगे यह कहा गया (अप्रैल 2012) कि सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क पर उपकर को बजट परिवर्तनों (2012-13) के लागू होने के पश्चात् हटा दिया गया है और इसलिए अतिरिक्त शुल्क पर उपकर की अब गणना नहीं की जा रही है।

निदेशक (आईसीडी), वित्त मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2014) कि स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर शिक्षा उपकर को आईसीईएस 1.5 में अभिकलन तर्क के परिवर्तन के पश्चात् 18 मार्च 2012 से एकत्र नहीं किया जा रहा था। आगे यह कहा गया कि महानिदेशक (सिस्टम) को ऐसे मामलों से बचने के लिए प्रचलित कानूनी अवस्था के साथ आईसीईएस की अनुकूलता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

लेखापरीक्षा का मत था कि यह अनियमितता महानिदेशक (सिस्टम) नई दिल्ली द्वारा आईसीईएस 1.5 के अद्यतन की कमी के कारण हुई तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा जून 2011 से इस मामले को बताया जा रहा था।

आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा तूतीकोरिन आयुक्तालयों के माध्यम से आयातित कोयले के 475 प्रेषणों में, सीमाशुल्क के रूप में देय स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर लगाया गया है।

तदनुसार मंत्रालय को कम उद्ग्रहण की वसूली यदि कोई पाई गई हो, तो उसके अलावा ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा उनकी स्थिति बताने का अनुरोध किया गया (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2014)।

### निर्धारण अधिकारी ने लागू एंटी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया।

**4.4** दिनांक 24 अगस्त 2011 की अधिसूचना संख्या 81/2011-सीमाशुल्क की क्रम संख्या 3 के अनुसार, यदि उदगम देश चीन पीआर हो तथा निर्दिष्ट रूप को छोड़कर किसी उत्पादक द्वारा उत्पादित हो तथा भारत को निर्यात किया गया हो तो 'पोलीटेटराफ्लूरोएथेलिन (पीटीएफई) पर US$ 3.87 प्रति कि.ग्रा. की दर पर एन्टी डंपिंग शुल्क (एडीडी) उद्ग्रहाय है।

मै. ब्लास्ट कार्बोब्लॉक प्रा. लि. तथा तीन अन्यों ने जेएनसीएच, मुम्बई, चेन्नई (समुद्र), एयर कस्टम कार्गो अहमदाबाद, आईसीडी, कोडियार (गुजरात) तथा आईसीडी, दादरी के माध्यम से चीन पीआर में उत्पादित तथा निर्यातित 'पीटीएफई' के 31 प्रेषणों का आयात किया था। विभाग ने एन्टी डंपिंग शुल्क लगाए बिना आयातित माल की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.63 करोड़ के एन्टी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

सहायक आयुक्त आईएडी (आयात), जेएनसीएच ने ₹ 9.64 लाख की राशि के लिए मै. ब्लास्ट काब्रोरलोक्स प्रा. लि. तथा मै. कोटा इंडस्ट्रिज प्रोडक्ट प्रा. लि. को मांग नोटिस जारी करने की सूचना दी (अप्रैल 2012)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2014)।

### निर्धारण अधिकारी तैनात सीमा-शुल्क कर्मचारियों के लिए लागत वसूली प्रभार की उगाही करने में विफल रहा।

**4.5** दिनांक 15 जून 1995 के परिपत्र संख्या 68/95-सी.शु. के पैराग्राफ 3 के अनुसार, किसी निजी वेयरहाउस के लिए लाइसेंस को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के तहत इस शर्त पर मंजूरी दी जा सकती है कि यदि सीमा शुल्क अधिकारी की सेवाएं निरंतरता के आधार पर अपेक्षित हो अथवा मर्चेन्ट ओवरटाइम (एमओटी)/पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान पर, जैसा भी मामला हो, उसमें आवेदक लागत-वसूली (सीआरओ) आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों की सेवाएं लेने के लिए सहमत हो।

विनियमन 1998 का विनियम 2 (सी) (ii) (सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा सेवाएं देने के लिए फीस) अनुबंधित करता है कि एक एमओटी फीस को

आयातक/निर्यातक/निर्धारिती जो 'सीमा-शुल्क क्षेत्र' से अधिक अथवा 'सीमा-शुल्क क्षेत्र' के अन्दर 'वर्किंग आर' के पश्चात् सीमा-शुल्क अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठा रहा है, द्वारा निर्धारित दरों पर लिया तथा उसका भुगतान किया जाना चाहिए। सामान्य सीमा शुल्क कार्य के लिए सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में निर्धारित कार्य घंटे के रूप में विनिमय-2 (डी) के अंतर्गत 'कार्य घंटे' को किया गया है।

**4.5.1** कोलकाता एयरपोर्ट आयुक्तालय के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग, एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता में रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनएससीबीआई एयरपोर्ट पर स्थिति मै. फलेमिंगो ड्यूटी फ्री शॉप प्रा. लि. के दो निजी बांडेड वेयरहाउस के साथ-साथ शुल्क मुक्त शॉप (डीएफएस) से शुल्क मुक्त आयातित माल के संग्रहण तथा बिक्री की मॉनीटरिंग के लिए पूरे समय हेतु नियुक्त सीमा शुल्क कर्मचारियों के संदर्भ में लागत वसूली प्रभार की लाइसेंस धारकों से वसूली नहीं की जा रही थी। प्रारंभिक रूप से, लाइसेंस धारक ने शर्त 15 के तहत दिए कार्य के अनुसार दिसम्बर 2009 तक की एमओटी फीस का भुगतान किया परन्तु उस पर एमओटी फीस के बजाय सीआरओ प्रभारों के भुगतान के लिए अनुरोध किया। तथापि, लाइसेंस धारक से जनवरी 2010 के बाद से न तो सीआरओ प्रभार न ही एमओटी फीस एकत्रित की गई। जैसाकि सीमा शुल्क कर्मचारियों ने डीएफएस को हर समय पर्यवेक्षित किया तथापि, दी गई सेवाओं की लागत को कार्य घंटों से अधिक अवधि के लिए सीआरओ आधार पर संग्रहित किया जाना था जिसे इस मामलें में विभाग द्वारा (अक्तूबर 2012) सुनिश्चित एनएससीबीआई, एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में उल्लखित रूप में अथवा तैनात कर्मचारियों के लिए कार्य घंटों का वर्णन करने वाले आयुक्त के किसी निर्देश के अभाव में केन्द्रीय सरकारी अधिकारी के मौजूदा सामान्य कार्य घंटों (10.00 पूर्वाहन से 6.30 अपराहन) के अनुसार लिया जाता है। इस अवधि (जनवरी 2010 से सितम्बर 2012) के लिए वसूली योग्य कुल लागत प्रभार ₹ 1.22 करोड़ था।

सीमा शुल्क (एयरपोर्ट एवं प्रशासन) एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता के सहायक आयुक्त ने मांग नोटिस जारी होने की सूचना दी (अक्तूबर 2012 से

दिसम्बर 2012) परन्तु डीएफएस प्राधिकारियों द्वारा की गई इस टिप्पणियों को दोहराया कि सीआरओ प्रभार दिनांक 26 मई 2010 के सीबीईसी पत्र के आधार पर देय नहीं है क्योंकि डीएफएस प्राधिकारियों ने अर्थ निकाला कि एनएससीबीआई अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कार्य घंटे 24 x7 थे।

इस तथ्य के संदर्भ में विभाग के जवाब की समीक्षा की जानी है कि सीबीईसी का दिनांक 26 मई 2010 का पत्र केवल यह स्पष्ट करता है कि एयरपोर्ट/पोर्ट परिसर पर डीएफएस के संदर्भ में सेवा प्रभार केवल 'कार्य घंटे' से अधिक सीमा शुल्क सेवा देने के प्रति ही लागू है। जैसाकि एनएससीबीआई अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 24 x 7 कार्य घंटे का वर्णन करते हुए सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त द्वारा जारी कोई अधिसूचना/परिपत्र/सार्वजनिक नोटिस नहीं है जोकि सीआरओ/एमओटी फीस से छूट का निर्णय लेने के लिए सीमा शुल्क ('सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए फीस) विनियम, 1998' के नियम 2(डी) के अनुसार आवश्यक है। सीमा शुल्क कार्य की 24x7 सुविधा देते हुए सीबीईसी द्वारा जारी दिनांक 7 अगस्त 2012 की परिपत्र संख्या 22/2012–सी.शु. सीमित सीमा शुल्क प्रचालन उद्देश्य हेतु कुछ एयर कार्गो काम्प्लेक्स (कोलकाता एयरपोर्ट को छोड़कर) तथा कुछ समुद्री बन्दरगाहों को अनुबंधित करती है। तदनुसार, सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्दर वर्णित अनुसार कार्य घंटों के रूप में इसे ध्यान मे रखते हुए आठ घंटों से अधिक दी गई सीमा शुल्क सेवा के लिए मै. फ्लेमिंगो डीएफएस प्रा. लि. से सीआरओ प्रभारों की वसूली की जानी है।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

**4.5.2** इसी तरह, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) भादोही जो लागत वसूली आधार पर केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) भादोही के साथ 29 जुलाई 2004 को स्थापित किया गया, से लागत वसूली प्रभार अनुद्धगृहित रहे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आईसीडी भादोही में नियुक्त सीमा शुल्क कर्मचारियों के संदर्भ में अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूसी भादोही के प्रति लागत वसूली प्रभार के कुल ₹ 47.16 लाख बकाया थे। वसूली प्रभारों के लिए सीडब्ल्यूसी के प्रति आईसीडी भादोही ने न तो कोई

बिल दिया न ही रिकॉड बनाये। इन प्रभारों को अग्रिम में जमा भी नहीं किया गया जैसाकि अपेक्षित था।

सहायक आयुक्त, आईसीडी, भदोही ने कहा (मार्च 2012) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क डिविजन–1, इलाहबाद द्वारा आईसीडी स्टॉफ की लागत वसूली के संदर्भ में रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे। डिविजन प्राधिकारियों ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि 2010 से 2013 की अवधि के लिए लागत वसूली राशि का कुल बकाया ₹ 2.18 करोड़ था।

तथ्य यह है कि आईसीडी, भदोही में तैनात सीमा शुल्क कर्मचारियों के लिए ₹ 2.18 करोड़ की राशि के लागत वसूली प्रभार अनुद्धगृहीत रहे। मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

**4.5.3** इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) तथा कंटेनर माल भाड़ा स्टेशन (सीएफएस) हेतु संरक्षक की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करते हुए विनियम 5(2) के 'सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो हैंडलिंग विनियम, 2009' तथा दिनांक 23 मार्च 2009 के बोर्ड की परिपत्र संख्या 13/2009-सी.शु. के पैराग्राफ 5.3 के तहत जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, संरक्षक को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के एक आदेश द्वारा निर्दिष्ट छूट के बिना आईसीडी/सीएफएस पर नियुक्त सीमा शुल्क कर्मचारियों की लागत को वहन करना चाहिए। इसके अलावा, सितम्बर 2005 में जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, लागत वसूली के आधार पर बनाए गए पदों की लागत को डीए, सीसीए, एचआरए आदि सहित पदों की मासिक औसत लागत के 1.85 गुना की एक समान दर पर वसूल किया जाना है।

स्पष्टतया दिनांक 23 मार्च 2009 के परिपत्र संख्या 13/2009-सी.शु. के पैराग्राफ 4.1 के साथ पठित पूर्वोक्त वर्णित विनियमों का विनियम 4 बताता है कि इन विनियमों के लागू होने की तिथि पर अथवा उससे पूर्व पहले से स्वीकृत (मौजूदा संरक्षक) सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदात्ता का तीन माह अथवा एक वर्ष की अवधि से अधिक न होने वाली ऐसी अवधि के अन्दर इन विनियमों की शर्तों का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि सीमा शुल्क आयुक्त को इन विनियमों के लागू होने की तिथि से मंजूरी दी जा सकती है।

शिलांग आयुक्तालय के तहत सीमा शुल्क डिवीजन, गुवाहटी के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आईसीडी, अमिनगांव में तैनात सीमा शुल्क कर्मचारियों के संदर्भ में लागत वसूली प्रभारों की सरक्षक, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीओएनसीओआर) से वसूली नहीं की जा रही थी, जबकि उन्हें न तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के एक आदेश द्वारा छूट दी गई तथा न ही उन्होंने मंत्रालय द्वारा लागत वसूली प्रभारों के लिए अधित्याग हेतु सुनिश्चित करने के लिए दिए गए मानदंडों को पूरा किया क्योंकि पिछले चार वित्तीय वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान कथित आईसीडी द्वारा सौंपे गए कंटेनरों की कुल संख्या सितम्बर 2005 में जारी वित्त मंत्रालय निर्देशों के तहत आवश्यक 7200 टीईयूज प्रति वर्ष के निष्पादन बेंचमार्क के प्रति क्रमश: 2440, 2954, 2285 एवं 2600 टीईयूज[11] थी। अक्तूबर 2010 से मई 2012 की अवधि के लिए वसूली योग्य कुल लागत ₹ 94.69 लाख थी।

सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), एनएफआर, शिलांग ने दिनांक 17 अक्तूबर 1997 की परिपत्र संख्या 52/1997-सी.शु. पर ध्यान देते हुए कहा (अप्रैल 2013) कि आईसीडी, अमिनगांव को परिपत्र जारी होने से पूर्व स्थापित किया गया तथा इसलिए यह इस परिपत्र की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता। तथापि, विभाग ने आईसीडी को 'सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो की हैंडलिंग, विनियम 2009' की प्रयोज्यता पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

विभाग के उत्तर की इस संदर्भ में समीक्षा की जानी है कि बोर्ड का 1997 का परिपत्र 'सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो की हैंडलिंग विनियम, 2009' के मामले के पश्चात सारहीन हो गया है तथा दिनांक 23 मार्च 2009 की सीबीईसी परिपत्र संख्या 13/2009-सी.शु. के तहत जारी स्पष्टीकरण ने प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया कि सभी मौजूदा अथवा नए आईसीडी/सीएफएस को उपरोक्त वर्णित विनियम 2009 के प्रावधानों का अनुपालन करना है।

[11] बीस फूट के बराबर यूनिट (टीईयू) कंटेनर शीप तथा कंटेनर टर्मिनल की क्षमता का वर्णन करने के लिए अकसर उपयोग की गई कार्गो क्षमता की एक गलत यूनिट है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (बोर्ड) बार्ड ने लंबे समय से अपेक्षित मर्चेंट ओवरटाइम (एमओटी) दरों को संशोधित नहीं किया था।**

**4.6** पाचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की 3 से 3.5 गुना वेतन के लिए 1968 के विनियमों में निर्धारित वर्तमान दर के संशोधन द्वारा अक्तूबर 1998 से एमओटी दरों में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।

अगस्त 2008 में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के पश्चात, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 5$^{वें}$ वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन की तुलना में फिर से 2.42 से 3.23 गुना तक वृद्धि हुई। तथापि, बोर्ड द्वारा एमओटी दरों में अनुकूल संशोधन अभी तक नहीं किया गया है तथा तदनुसार, एमओटी प्रभार सितम्बर 1998 में निर्धारित दरों पर अभी भी उद्ग्रहाय है। बोर्ड ने वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर वेतनमान के संशोधन के लिए अनुवर्ती एमओटी दरों के समय-समय पर संशोधन पर विचार नहीं किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छः[12] कस्टम हाउस तथा एक[13] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज ने उपरोक्त वर्णित विनियम 1998 के तहत दरों पर 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 494.54 लाख के कुछ एमओटी प्रभारों का संग्रहण किया। 14 वर्षों से अधिक एक चूक के पश्चात भी एमओटी दरों में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप राजस्व का कम अर्जन हुआ है।

एमओटी दरों के आवधिक संशोधन हेतु लेखापरीक्षा मत के साथ सहमत (अक्तूबर 2012 से अगस्त 2013) होते हुए नवलखी, सिक्का, पोरबन्दर तथा पीपावाव कस्टम हाउस के सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह कहा कि यह मामला बोर्ड/ मंत्रालय से संबंधित है।

[12] नवलखी, सिक्का, जामनगर, वाडीनर, पोरबन्दर, पीपावाव

[13] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन रेंज (एआर) वी, डिवीजन वी, आयुकतालय – अहमदाबाद-।।

निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से परियोजना आयात लाभों को मंजूरी दी।

**4.7** ऐसी मशीनरी के निर्माण हेतु आवश्यक मशीनरी के सभी आइटमों तथा सभी घटकों अथवा कच्चे माल का यूनिट की प्रारंभिक व्यवस्था हेतु आयात किया और सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग 98.01 के अन्तर्गत निर्दिष्ट औद्योगिक संयंत्र के एक मौजूदा सत्त्व के पर्याप्त विस्तार को कवर किया जाता है तथा वह परियोजना आयात विनियमों (पीआईआर), 1986 के विनियम 2 के अनुसार शुल्क की रियायती दर पर प्रभार्य है। पीआईआर-86 के विनियम 3 (बी) के तहत वर्णित 'पर्याप्त विस्तार' का तात्पर्य एक विस्तार से है जो मौजूदा स्थापित क्षमता को 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ाएगा।

मै. टेल्को कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट कम्पनी लि. ने दिनांक 1 मार्च 2004 के प्रविष्ट बिल संख्या 183545 द्वारा बीना ओसी सिंगरौली कोल्डफील्ड ऑफ नार्दन कोल्डफील्ड लिमिटेड जिसे परियोजना आयात विनियम, 1986 के तहत रियायती शुल्क के लाभ की स्वीकृति दी गई थी, को आपूर्ति के लिए सीमा शुल्क आयुक्तालय (पोर्ट), कोलकाता के माध्यम से 'हाइड्रोलिक शोवेल' का आयात किया (मार्च 2004)। करार को अन्तिम रूप देने के लिए आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में लेखापरीक्षा ने पाया कि शोवेल को खानों की 5 मिलियन टन प्रति वर्ष की पूर्व उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाना था जो 3 मिलियन टन प्रति वर्ष तक घट गई थी। इसे प्राप्त करने के लिए, शोवेल की उपकरणों की एक अतिरिक्त मात्रा के रूप में आवश्यकता थी जिसके लिए आयातक पीआईआर के अन्तर्गत कथित परियोजना अनुबंध के लिए पंजीकृत था।

चूंकि माल की मौजूदा स्थापित क्षमता बढ़ाए बिना केवल इसकी पूर्व उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए, आयात किया गया, तथापि यह स्पष्ट था कि तत्काल परियोजना आयात अनुबंध न तो यूनिट की प्रारंभिक स्थापना हेतु न ही मौजूदा यूनिट के पर्याप्त विस्तार के लिए पंजीकृत था जिसके लिए आयातित माल परियोजना आयात विनिमय, 1986 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध रियारती शुल्क के लाभ के योग्य नहीं था। लाभ के गलत विस्तार के परिणामस्वरूप ₹ 55.03 लाख की राशि की छूट रियायत की मंजूरी हुई जो आयातक से वसूली योग्य थी।

सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आईएडी), कस्टम हाउस, कोलकाता ने कहा (नवम्बर 2012) कि आयातक को कम उद्ग्रहित राशि को जमा करने के लिए पूछताछ हेतु एक पत्र जारी किया गया है। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

## मूल्यांकन अधिकारी ने ब्रेकिंग हेतु आयातित शिप के मूल्य का कम निर्धारण किया

**4.8** सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली 2007 के नियम 5 के अनुसार, आयातित माल का मूल्य, भारत को निर्यात हेतु तथा आयात के मूल्य पर अथवा एक ही समय से संबंधित हेतु बेचे गए एकसमान माल के लेन-देन का मूल्य होगा क्योंकि माल का मूल्यांकन हो रहा था।

विभिन्न आयातक शिप ब्रेकिंग यार्ड –अलग (भावनगर) पर 'ब्रेकिंग हेतु शिप' (सीटीएच 89080000) को उस मूल्य जिसके लिए उसे 'समझौता ज्ञापन (एमओए)' में घोषित एकमुश्त कीमत (बंकर मूल्य सहित) पर निर्धारित किया गया, पर आयात करते हैं।

आयातित शिप का मूल्य दिनांक 3 जुलाई 1996 के बोर्ड की परिपत्र संख्या 37/1996-सी.शु. में अनुबंधित रूप में घोषित कुल मूल्य से बंकर मूल्य (एमजीओ, भटटी तेल आदि) को घटाने के पश्चात् प्राप्त हुआ। तब उद्ग्रहित शुल्क शिप तथा बंकर हेतु दोनों के लिए लागू दरों पर पृथक रूप से प्राप्त हुआ। 'शिप फोर ब्रेकिंग' (सीटीएच 89080000)[14] पर उद्ग्राह्य सीमा शुल्क की प्रभावी दर 'मेरीन गैस ऑयल (एमजीओ) (सीटीएच 27101930)[15] पर उद्ग्राह्य दर की तुलना में अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2008 के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एमजीओ का मूल्य काफी कम हुआ तथा मार्च 2009 तक दर्ज की गई

[14] 5प्रतिशत 'मूल सीमाशुल्क (बीसीडी)' तथा 14 प्रतिशत 'अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीबीडी)' सहित शिप पर शुल्क।

[15] 2.5 प्रतिशत बीसीडी, ₹ 2 प्रति लीटर तथा ₹ 1.60 प्रति लीटर अतिरिक्त सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहित एमजीओ पर शुल्क।

अधिकतम दर US$ 540 पीएमटी थी। तथापि, अगस्त 2008 में विभाग द्वारा US$ 825 पीएमटी पर तय निर्धारणीय मूल्य दिसम्बर 2008 में केवल US$ 725 पीएमटी कम हुआ जून 2009 तक कोई अन्य कमी नहीं हुई।

बाजार में प्रचलित कम मूल्य के संदर्भ में एमजीओ के निर्धारणीय मूल्य में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप एकमुश्त कीमत तथा बाद में शुल्क की कम उगाही से अधिक बंकर कीमत में कटौती हुई। सरकार कुल मूल्य से कटौती की मंजूरी हेतु एमजीओ के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के संदर्भ में एमजीओ की कीमत की समीक्षा करने के लिए कुछ तंत्रों की योजना बना सकती है जो शिप मूल्य पर सही शुल्क की उगाही में मदद करेगा।

US$ 540 पीएमटी की उच्चतम दर्ज दर को ध्यान में रखते हुए 44 प्रविष्टि बिल (बीएसई) (नवम्बर 2008/जून 2009) सहित कम लगाया गया शुल्क ₹ 29.27 लाख था।

सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर ने कहा (अगस्त 2013) कि लेखापरीक्षा ने www.bunkerworld.com वैबसाइट में दिए एमजीओ कीमत को अपनाया जो सिंगापुर में एफ.ओ.बी. कीमत है जिसके लिए माल भाड़ा, निवेश तथा लैडिंग प्रभार को शुल्क गणना के लिए निर्धारणीय मूल्य निकालने हेतु जोड़ा जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि जैसाकि लेखापरीक्षा ने बताया कि राष्ट्रीय आयात डाटावेस (एनआईडीबी) के मूल्य कानूनी प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है परन्तु केवल व्यापक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करती है तथा कानून में लेन-देन के मूल्य को अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने यह भी कहा कि सिंगापुर में प्रचलित एमजीओ/एचएसडी कीमतों को लेखापरीक्षा द्वारा माना जाता है जो सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियामावली 2007 के नियम 9(2) (iii) के तहत मूल्यांकन के लिए शेष पद्धति के विपरीत है।

विभाग के उत्तर की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा की जा सकती है कि लेखापरीक्षा अवलोकन समय पर संशोधन करने हेतु प्रक्रिया के गठन पर जोर देने के लिए है ताकि सरकारी राजस्व की रक्षा की जा सके। तथापि, सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर अधिकारियों ने कहा (अगस्त 2013) कि

सुरक्षात्मक मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

मंत्रालय का जबाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

## निर्धारण अधिकारी ने माल के निर्यात पर फिरती को गलत तरीके से मंजूरी दी

**4.9** दिनांक 1 सितम्बर 1998 की परिपत्र संख्या 64/1998-सीमा शुल्क के पैरा (VI) के अनुसार, खुले बाजार से निर्यातक व्यापारी द्वारा खरीदे गए माल निर्यात माल को मोडवेट सुविधा प्रयुक्त माना जायेगा और ऐसे माल के निर्यात पर शुल्क फिरती की सभी उद्योग दरों के लाभ को केवल सीमा शुल्क आबंटन के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों का दिनांक 25 मई 2009 की परिपत्र संख्या 16/09-सीमा शुल्क के पैरा -7 के तहत अधिक्रमण किया गया जिससे व्यापारी निर्यातक को निर्यात के समय स्वयं घोषणा का वर्णन प्रस्तुत करने के अधीन उत्पाद शुल्क आवंटन सहित शुल्क फिरती की सभी उद्योग दरों की अनुमति भी दी गई। तथापि, उक्त प्रावधान इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी हुए।

मै. ईस्टर्न ट्रेडर्स तथा दो अन्य व्यापारी निर्यातकों को उनके द्वारा स्थानीय बाजार से खरीदे माल पर सभी उद्योग दरों पर फिरती के सीमा शुल्क के साथ साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भाग की मंजूरी दी गई (मई 2008 से फरवरी 2010) तथा सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), पश्चिम बंगाल के माध्यम से दिसम्बर 2007 से अप्रैल 2009 की अवधि के दौरान 14 शिपिंग बिलों के तहत निर्यात किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यापारी निर्यातक के लिए फिरती के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भाग की मंजूरी उक्त परिपत्र के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि माल को दिनांक मई 2009 के परिपत्र जारी होने से पूर्व निर्यात किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25 लाख की फिरती राशि का अत्यधिक भुगतान हुआ जिसे प्रयोज्य ब्याज सहित वसूल किए जाने की आवश्यकता थी।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि मंजूर की गई फिरती की वसूली के लिए कोलकाता (निवारक) आयुक्तालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

**4.10** सीमा शुल्क का प्रतिदाय

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (सीए) के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसने सीमा शुल्क का भुगतान अथवा किसी ब्याज का भुगतान किया है, निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने प्रतिदाय के लिए दावा कर सकता है:

(क) जब माल के निर्यात शुल्क/उपकर के भुगतान के पश्चात् निर्यातित किया जाए तथा निर्यातित माल को पुन: बिक्री के तरीके के बजाय अन्य किसी तरीके से वापिस दिया जाए तथा माल का एक वर्ष के अन्दर पुन: आयात किया जाए (सीए की धारा 26)।

(ख) जब आयातित माल दोषपूर्ण पाया जाए अथवा अन्यथा वह माल के आयातक तथा आपूर्तिकर्ता के बीच सहमति विनिर्देशन के अनुरूप न हो तथा आयातित माल को ऐसे रूप में निर्यात किया जाए (सीए की धारा 26 ए)।

(ग) कोई व्यक्ति जिसने आयातित माल के निर्धारण पर शुल्क का भुगतान किया है तथा निम्नलिखित पर अनुवर्ती शुल्क के प्रतिदाय हेतु लागू होता है i) माल की चोरी, माल की क्षति तथा माल के मूल्य में गिरावट, खोए अथवा नष्ट माल के कारण शुल्क की छूट/कमी, (ii) अनन्तिम निर्धारण जहां शुल्क वापसी योग्य है, को अंतिम रूप देना, (iii) प्रोजेक्ट आयात को अंतिम रूप देने पर जमा नकद प्रतिभूति, (iv) एक न्यायनिर्णयन आदेश अथवा एक अपीलीय मामले में नीचले प्राधिकरण के निर्णय अथवा संशोधन का सुधार, (v) शुल्क की दर के गलत अनुप्रयोग, गलत वर्गीकरण, उच्चतर मूल्यांकन को अपनाने (सीए की धारा 27) के कारण पुन: निर्धारण पर शुल्क की कमी।

(घ) जब आयातित माल दर बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, स्थानीय कर तथा अन्य प्रभारों को बराबर करने के लिए 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान किया जाए तथा पंजीकृत डीलर आयातक उपयुक्त एसटी/वीएटी के भुगतान पर माल को बेचे तो वह संशोधित रूप में दिनांक 14 सितम्बर 2007

की अधिसूचना संख्या 102/2007 के अनुसार 4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय का दावा कर सकता है।

विभाग ने वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 (अप्रैल 2013 तक) के दौरान 31535 तथा 6439 दावों का निपटान किया तथा महानिदेशक/प्रधान निदेशक, तमिलनाडु, कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर तथा कोचीन के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयुक्तालयों द्वारा स्वीकृत क्रमश: ₹ 1773.37 करोड़ तथा ₹ 411.71 करोड़ की राशि वापिस दी।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान स्वीकृत कुल दावों के क्रमश: 1964 (6 प्रतिशत) तथा 6439 (31 प्रतिशत) की नमूना जॉच की।

### 4.10.1 आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

प्रतिदाय आवेदनों को इस बात की संवीक्षा के पश्चात् स्वीकार किया गया कि क्या सभी दस्तावेज पूरे तथा पूर्ण आकार में प्राप्त हुए थे। यदि कोई दस्तावेज बांछित है तो अधीक्षक द्वारा संवीक्षा के पश्चात् एक कमी ज्ञापन जारी किया जाता है तब सहायक आयुक्त/उप-आयुक्त द्वारा प्रतिदाय दावे को स्वीकृत किया जाता है। ₹ 5 लाख से अधिक के प्रतिदाय दावे को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है जबकि ₹ 5 लाख से कम के प्रतिदाय अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन है। सिस्टम द्वारा प्रतिदाय को स्वत: सक्रिय तथा आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में पकड़ा नहीं जाता है।

### 4.10.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**(क) माल की बिक्री पर इसके आयात की तिथि से पूर्व/टीआर 6 चालान/बिना प्रभार के भुगतान पर प्रतिदाय की स्वीकृति -₹ 10.23 लाख**

आयातित माल को केवल शुल्क भुगतान/बिना प्रभार के बेचा जा सकता था। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल आयातित माल को वास्तविक रूप में बेचा गया।

लेखापरीक्षा ने सात आयुक्तालयों में 23 मामलें पाए **(परिशिष्ट 19)** जहॉ अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय को स्वीकृत किया गया, भले ही बिक्री माल के

आयात (लैंडिग की तिथि) /शुल्क भुगतान (टीआर 6 चालान के भुगतान की तिथि) /बिना प्रभार (माल को प्रत्यक्ष रूप से हटाकर) की तिथि से पूर्व प्रभावी हुई हो। तदनुसार, ₹ 10.23 लाख की राशि के दावे एसएडी प्रतिदाय के योग्य नहीं थे।

सीमा शुल्क आयुक्त (एयर), चेन्नई ने सूचित किया कि ₹ 0.62 लाख के लिए एक मांग नोटिस जारी किया गया है। सीमा शुल्क उप आयुक्त सेंट जॉन, तूतीकोरिन ने ₹ 0.97 लाख में से ₹ 0.43 लाख की वसूली की सूचना दी जबकि मै. श्री लकोशा पोलीमर प्रा. लि. के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकनों का यह कहते हुए विराध किया (जुलाई 2013) कि आउट ऑफ चार्ज सिस्टम के खराब होने के कारण 15 दिसम्बर 2011 को व्यक्तिगत रूप से दिया गया।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल की केवल शुल्क के भुगतान के पश्चात् ही निकासी की जा सकती थी जिसे 17 दिसम्बर 2011 को किया गया था, जबकि बिक्री बीजक दिनांक 16 दिसम्बर 2011 का था। अन्य आयुक्तालयों से जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

**(ख) कालातित दावे - ₹ 12.05 लाख**

दिनांक 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना संख्या 93/2008-सीमा-शुल्क के अनुसार, प्रतिदाय आवेदन कथित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पांच आयुक्तालयों में 11 मामले देखें **(परिशिष्ट 20)** जिनमें निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त एसएडी प्रतिदाय दावों पर विभाग द्वारा विचार किया गया तथा ₹ 12.05 लाख की राशि को अनियमित रूप से वापिस किया गया।

मै. फाल्कन ग्लास पैलेस के संदर्भ में कोच्चि आयुक्तालय ने कहा कि सामान्य क्लॉज अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, भुगतान की वास्तविक तिथि को सीमा अवधि की संगणना हेतु छोड़ा जाना चाहिए। आगे यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, जब निर्धारित अवधि के अंतिम

दिन अवकाश होता है तो कार्य अथवा कार्यवाही को अवकाश के बाद अगले दिन पर किया समझा जाना चाहिए।

जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना है कि शुल्क के भुगतान की तिथि

1 अगस्त 2011 थी तथा आवेदन 3 अगस्त 2012 को फाइल किया गया। आवेदन की देय तिथि अर्थात् 2 अगस्त 2012 को अवकाश नहीं था। तदनुसार, मंजूर किया गया ₹ 1.80 लाख का प्रतिदाय अनियमित था।

मै. डेक्स वर्कस लि. के मामले में सीमा शुल्क आयुक्त (एयर), चेन्नई ने कहा (जुलाई 2013) कि समय सीमा के अन्दर दावा प्रस्तुत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवेदन को एक वर्ष (18 मार्च 2011) की समाप्ति के पश्चात् 31 मार्च 2011 को प्रारंभिक रूप से फाइल किया गया तथा इसे सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा सत्यापित किया गया। शेष आयुक्तालयों के संदर्भ में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2013)।

**(ग) आयातित माल के साथ गलत मिलान के माल की बिक्री पर प्रतिदाय दावों की मंजूरी-₹ 17.79 लाख**

दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सीमा शुल्क के अनुसार, आयातक को प्रतिदाय दावों के साथ शुल्क भुगतान के प्रमाण (प्रविष्टि बिल), बिक्री बीजक तथा वैट/बिक्री कर के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा द्वारा बीओई (आयात) की बिक्री बीजक के साथ तुलना से पता चला कि बेाओई के अनुसार आयातित माल तथा चार आयुक्तालयों चेन्नई (एयर) – 6 मामले, चेन्नई (समुद्र)-4 मामले, तूतीकोरिन – 6 मामले तथा कस्टम (पोर्ट), कोलकाता 5 मामलों के संदर्भ में 21 मामलों में बीजक में वर्णित अनुसार बिक्री के बीच गलत मिलान था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.79 लाख की राशि के एसएडी प्रतिदाय की गलत स्वीकृति हुई **(परिशिष्ट 21)**।

सीमा शुल्क आयुक्त (एयर), चेन्नई ने कहा (जुलाई 2013) कि आयातकों (मै. रूट्स मल्टी क्लीन लि. तथा मै. एस्सेल फ्रन्ट लाइन) को मांग नोटिस जारी किए गए हैं। सीमा शुल्क आयुक्त तूतीकोरिन ने उत्तर दिया (जून

2013) कि बीई में मदों के वर्णन के साथ बिक्री बीजक के बीच बहुत कम भिन्नता थी। विभाग ने आगे कहा कि आगामी दिशा-निर्देश हेतु लेखापरीक्षा का तर्क नोट किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रविष्टि बिल तथा बिक्री बीजक के बीच भिन्नता है। शेष आयुक्तालयों के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

**(घ) विनिर्माता को प्रतिदाय की गलत स्वीकृति - ₹ 8.03 लाख**

दिनांक 15 सितम्बर 2010 के बोर्ड परिपत्र 34/2010 के अनुसार, यदि आयातित माल जिस पर 4 प्रतिशत एसएडी का भुगतान किया गया, का विनिर्माता द्वारा उपयोग किया जाता है; एसएडी प्रतिदाय के लाभ उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 3 मामलों {कस्टम हाउस (पोर्ट), कोलकाता -1 मामला, आईसीडी, सनाथ नगर, हैदराबाद -2 मामलें} में, ऐसे आयातित माल को नहीं बेचा गया परन्तु आगे कार्रवाई की गई तथा बेची गई। तथापि, ₹ 8.03 लाख की राशि का स्वीकृत एसएडी प्रतिदाय गलत था **(परिशिष्ट 22)।**

**(ई) अन्य रोचक बिन्दु**

**i. सह-संबंध शीट कार्गो के साथ उचित प्रकार से मेल नहीं खाती।**

लेखापरीक्षा ने देखा कि कस्टम हाउस, तूतीकोरिन (2 मामलों) के संदर्भ में, सनदी लेखाकार के सह-संबंध प्रमाण-पत्र का कार्गो के साथ मिलान नहीं किया गया। इसके कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि बिक्री बीजक में वर्णित आयातित माल वास्तव में एसएडी प्रतिदाय के योग्य था **(परिशिष्ट 23)।**

**ii. इलेक्ट्रोनिक डाटा इटरचेंज (ईडीआई) प्रतिदाय**

प्रतिदाय आवेदन की स्थिति को दिनांक 28 अप्रैल 2008 की परिपत्र संख्या 6/2008-सी.शु. के अनुसार संबंधित कस्टम हाउस की वेबसाइट में परिलक्षित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रतिदाय आवेदन की स्थिति को कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद तथा कोचीन में परिलक्षित नहीं किया गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) अथवा नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से कोलकाता कस्टम हाउस, कस्टम

हाउस मुन्द्रा, इनलैंड कंटेनर डिपो, काधियार (पीडीए, अहमदाबाद) तथा कस्टम हाउस कोच्चि में प्रतिदाय का भुगतान नहीं किया गया है। नई दिल्ली के संदर्भ में, दावों की हस्त्य रूप से कार्रवाई हो रही है। कांडला (पीडीए, अहमदाबाद) के संदर्भ में, ऑनलाइन डाटाबेस सही पिक्चर प्रतिबिंबित नहीं करता।

विभाग ने कहा कि आरटीजीएस अथवा एनईएफटी सिस्टम के माध्यम से दावेदार के बैंक खाते में प्रतिदाय राशि को प्रत्यक्ष रूप से जमा करने की प्रणाली विभाग के विचारधीन है तथा इसे जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। राजस्व विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

### iii. वास्तविक आयातक के अलावा अन्य व्यक्ति को प्रतिदाय की स्वीकृति

अधिसूचना संख्या 102/2007-सी.शु. के अनुसार, प्रतिदाय दावे को केवल आयातक द्वारा प्राथमिकता दी जाती है तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 21.21 लाख की प्रतिदाय राशि के दो प्रतिदाय मामलों (कस्टम (पोर्ट), कोलकाता –मै. एसोशिएशन ट्रेडर्स एवं मै. केसर इंटरनेशनल प्रा. लि.) को आयातक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किए दावे के आधार पर स्वीकार किया गया जो आदेश में नहीं था। इसी तरह के ₹ 8.83 लाख की राशि के दो मामलें (आईसीडी कोनकोर, कनकपुरा, जयपुर-मै. लवली इंटरप्राइजिज प्रा. लि.) देखे गए।

### iv. प्रतिदाय आवेदनों पर कार्रवाई में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने देखा कि 16 मामलों में (आईसीडी, कोधियार, गुजरात-15 मामले, कस्टम हाउस, विशाखापट्टनम, हैदराबाद -। मामला) प्रतिदाय आवेदनों पर दो वर्षों से अधिक विलम्ब के पश्चात् कार्रवाई की गई।

सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, कांडला ने कहा कि मामला कुछ दस्तावेजों के अभाव में लंबित था तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों की सामान्य लंबित मंजूरी के रूप में संसाधित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दावा अपूर्ण दस्तोवेजों के आधार पर पारित किया गया था।

### v. बिक्री बीजकों की अनुपलब्धता के बावजूद अनियमित प्रतिदाय हुआ

दिनांक 14 सितम्बर 2007 के 102/2007 के अनुसार, बीईज, चालान तथा बिक्री बीजकों जैसे दस्तावेजों को प्रतिदाय का दावा करते समय अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना है। लेखापरीक्षा ने तीन प्रतिदायों (कस्टम हाउस (पोर्ट) कोलकाता) के संदर्भ में देखा कि बिक्री बीजकों की प्रतियां उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, ₹ 76.93 लाख की प्रतिदाय राशि की स्वीकृति क्रम में नहीं थी (परिशिष्ट 24)।

### vi. प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के बावजूद किया गया प्रतिदाय

अधिसूचना 102/2007 के अनुसार, एसएडी प्रतिदाय का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाला किसी आयातक को आयात माल की बिक्री, उपयुक्त एसटी/वेट पर भुगतान करना अपेक्षित है तथा बीजकों में प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है कि सीटी अधिनियम, 1975 की धारा (3) की उप-धारा (5) के तहत लगाए गए अतिरिक्त शुल्क का कोई ऋण स्वीकार्य नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मुम्बई आयुक्तालय के अन्तर्गत एक मामलें में उक्त प्रमाण-पत्र को बिक्री बीजकों में नहीं दशाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.47 लाख की प्रतिदाय राशि का अधिक भुगतान हुआ।

### vii. एसटी/वेट भुगतान उपलब्ध न होने का प्रमाण

कस्टम हाउस मुन्द्रा में, प्रतिदाय फाइलों के साथ एसटी/वेट प्रतिदाय उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार, एसीसी, डिग्गी हाउस, जयपुर में, एक आयातक ने एसटी/वेट के भुगतान के लिए साक्ष्य की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की। तथापि, ₹ 4.08 लाख का स्वीकृत प्रतिदाय गलत था।

### viii. प्रविष्ट बिल की फोटो कॉपी पर किया गया प्रतिदाय

दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 की परिपत्र संख्या 16/2008 के अनुसार, प्रतिदाय का दावा करते समय आयातक को प्रविष्टी बिल की डुप्लिकेट प्रतियां प्रस्तुत करनी होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि बीओई की फोटो कॉपियों के आधार पर आईसीडी कोनकोर, जोधपुर के तहत मै. धारीवाल कारपोरेशन को ₹ 0.61 लाख के प्रतिदाय की स्वीकृति दी।

### ix. उपयुक्त सीएसटी के भुगतान के बिना एसएडी प्रतिदाय की स्वीकृति

कस्टम हाउस, कोचीन के तहत मै. वल्लभदास एवं कंपनी ने एसटी/वेट का भुगतान किए बिना सीटीएच 3103 के अन्तर्गत आयातित माल को बेचा क्योंकि इन मदों को केवीएटी अधिनियम 2005 के तहत छूट दी गई थी परन्तु अभी भी आयात के समय भुगतान किए ₹ 4.86 लाख की एसएडी राशि का प्रतिदाय ले रहे थे **(परिशिष्ट 25)**। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसटी/वेट का भुगतान करने अथवा सीएसटी/वेट के भुगतान से संबंधित बिक्री कर अधिकारियों से कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आयातक के पास कोई साक्ष्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, आयातक ने अनुचित संवर्धन के लिए सीए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बजाय स्वयं घोषणा को प्रस्तुत किया जो प्रतिदाय उद्देश्य हेतु मान्य नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.86 लाख का गलत प्रतिदाय हुआ।

### x. कमी ज्ञापन जारी करने में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने एयर कार्गो काम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बैंगलोर में देखा कि प्रतिदाय आवेदन अपूर्ण दस्तावेजों के साथ नियत तिथि के अन्दर फाइल किए गए। तथापि, एक से तीन वर्षों के बीच विलम्बित रूप से कमी ज्ञापन जारी किया गया इसके पश्चात्, पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत होने के बाद प्रतिदाय को स्वीकार किया गया।

### xi. प्रतिदाय की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

दिनांक 2 जुलाई 2007 के परिपत्र 24/2007 के पैराग्राफ 4.4 के अनुसार, ₹ 5 लाख से अधिक के स्वीकृत सभी प्रतिदायों को प्रतिदाय जारी होने से पूर्व पूर्व-लेखापरीक्षित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा की कांडला कस्टम हाउस में, आईएडी पश्च लेखापरीक्षा हेतु मामलों की निश्चित संख्या तथा पश्च लेखापरीक्षित मामलों की संख्या को परिमाणित नहीं कर सका।

### xii. एक आयातक द्वारा एक माह में एक से अधिक दावे

परिपत्र संख्या 6/2008-सी.शु. के अनुसार, यह निर्धारित किया गया कि आयातक द्वारा प्रति मास एक प्रतिदाय दावा प्रस्तुत किया जाएगा। लेखापरीक्षा

ने देखा कि कस्टम हाउस, कांडला के संबंधं में, दावेदार ने एक माह के दौरान एक से अधिक दावे फाइल किए जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

### xiii. प्रतिदाय के दोहरे दावों की स्वीकृति -₹ 0.47 लाख

लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. हाई-टेक के.के. मेनुफेक्चरिंग कॉरपोरेशन, कोलकाता को माल के निर्धारणीय मूल्य में वृद्धि के कारण सीमा शुल्क के अधिक भुगतान की ओर दिनांक 21 अप्रैल 2012 की ओ.आई.ओ. संख्या 2/2012 द्वारा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क,एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, डिग्गी हाउस, जयपुर द्वारा ₹ 2.39 लाख के प्रतिदाय की स्वीकृति दी गई। तथापि, इस प्रविष्टि बिल को एसएडी प्रतिदाय के लिए उद्धरित किया गया तथा वापिस दिया गया (दिनांक 12 जून 2012 की ओ.आई.ओ. संख्या 6/2012 तथा दिनांक 25 जुलाई 2012 की ओ.आई.ओ. संख्या 9/2012 के द्वारा)।